



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13828-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 308/2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं 2 अन्य
.....अपीलकर्ता

बनाम

निर्मला एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: मोहित जौहरी (स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मोहम्मद अतीक खान

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. यह अपील रिट-ए संख्या 2390/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2023 को निरस्त कर दिया है और प्रत्यर्थीगण को उसी पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम वेतनमान का हकदार माना है।
2. अपील 450 दिनों से वर्जित है।
3. जिला उद्यान अधिकारी के शपथ पत्र द्वारा समर्थित, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।
4. शपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया गया है कि विलंब न तो जानबूझकर किया गया है और न ही साशय है, और इस प्रकार इसे क्षमा किया जा सकता है।
5. विलंब के स्पष्टीकरण देते समय, यह संकेत दिया गया है कि 22.03.2024 को निर्णय पारित होने के बाद, इसे निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रेषित किया गया था, जिन्होंने पत्र दिनांक 05.04.2024 द्वारा कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया था। कानूनी राय 16.04.2024 को दी गई थी। जिसके बाद, अनुमति के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया गया, जिसकी अनुमति 25.09.2024 को प्रदान की गई। अपील तैयार करने के लिए 16.10.2024 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से संपर्क किया गया और उसके बाद विशेष अपील पूरी की गई।
6. इसके बाद यह दावा किया गया है कि 21.12.2024 से 01.01.2025 तक उच्च न्यायालय के अवकाश के कारण अपील समय पर दायर नहीं की जा सकी। उसके बाद, यह अभिकथन किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गया है कि मामलों का निर्णय तकनीकी आधार पर खारिज करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

7. तथ्यात्मक रूप से अपील 15.07.2025 को दायर की गई है।
8. जैसा कि देखा जाएगा, कथित स्पष्टीकरण केवल 01.01.2025 तक का ही है, शपथ पत्र इस बारे में पूरी तरह मौन है कि 02.01.2025 को न्यायालय खुलने के बाद से 15.07.2025 तक अपील क्यों नहीं दायर की जा सकी।
9. शपथ पत्र से ही, विभाग की ओर से लापरवाही, उन कारणों से जो उन्हें ही बेहतर पता होंगे, स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, न तो अधिवक्ता की ओर से और न ही शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति की ओर से छह महीने से अधिक के विलंब को स्पष्ट करने का कोई प्रयास किया गया है।
10. जो भी हो, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पोस्टमास्टर जनरल व अन्य बनाम लिविंग मोडिया इंडिया लिमिटेड व अन्य : (2012) 3 एससीसी 563 में, राज्य की ओर से उसकी एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अवलोकन किया था: "29. हमारी राय में, यह सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और प्रणालियों को सूचित करने का सही समय है कि जब तक उनके पास विलंब के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और वास्तविक प्रयास न किया गया हो, तब तक इस सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल कई महीनों/वर्षों तक लंबित रही। सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों को तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए एक विशेष दायित्व के अधीन हैं। विलंब को क्षमा करना एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी का समान दृष्टि से संरक्षण देता है और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए नहीं घुमाया जाना चाहिए।
11. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विभाग द्वारा विभिन्न तिथियों का उल्लेख करने के अलावा विलंब के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हमारे अनुसार, विभाग इतने बड़े विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त और स्वीकार्य कारण देने में पूरी तरह विफल रहा है। तदनुसार, अपील विलंब के आधार पर खारिज होने योग्य हैं।"
12. उक्त निर्णय का अनुसरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम अक्षय ज्वैलर्स : सिविल अपील संख्या 4486/2022, निर्णित 03.08.2023 में किया गया था।
13. हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड व अन्य : सिविल अपील संख्या 11794/2025, निर्णित 12.09.2025 में, इस विषय पर संपूर्ण कानून का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार अवलोकन किया: "262. उच्च न्यायालयों को राज्य अधिकारियों या उनकी प्रणालियों के ऐसे उदासीन रवैये को वैध प्रभाव नहीं देना चाहिए, और यदि विलंब क्षमा करने की मांग करने वाला पक्ष राज्य-प्राधिकारी है, तो उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। उन्हें राज्य की शिथिलता और सुस्ती का विकल्प नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को एक निजी वादी की उदासीनता और पीड़ा के प्रति जागरूक होना चाहिए। वादियों को निरंतर मुकदमों की ऐसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता, जहाँ उनकी डिक्री या अनुकूल आदेशों के फल बाद के चरणों में विफल हो जाएं। हमें इस सतत प्रवृत्ति को दोहराते हुए पीड़ा हो रही है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करते हैं कि वे अत्यधिक विलंब वाले मामलों को तब तक न खोलें जब तक कि पर्याप्त कारण न

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हो, क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय केवल जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 100 के तहत अपीलों में, जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही कानून के प्रश्नों तक सीमित है।

14. परिसीमा की अवधि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि वाद की समाप्ति का एक व्यापक दायरा बना रहे। न्यायिक समय के महत्व से अधिक, हमें सीमित संसाधनों वाले उस वादी की दुर्दशा की चिंता है, जिसे एक विशाल राज्य और उसके विस्तृत तथा कभी न खत्म होने वाले तामझाम के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। ऐसे मुकदमों को शुरुआत में ही निस्तारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि, यदि राज्य के विरुद्ध मुकदमा लड़ने वाला पक्ष, किसी भी कारण से, अपील में विलंब की माफी का विरोध करने में असमर्थ है, तो वर्तमान मामले के विपरीत, यह मुकदमेबाजी के एक और दौर को जन्म देता है, और ऐसे वादी को फिर से असहाय छोड़ देता है। अंतरात्मा के न्यायालयों के रूप में, यह हमारा दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि एक वादी को न्याय पाने के लिए दर-दर न भटकना पड़े।
15. किसी भी वादी को इतना सुस्त और उदासीन होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और न्यायालयों द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।"
16. उपरोक्त तथ्य-स्थिति को देखते हुए, विलंब क्षमा करने का कोई मामला नहीं बनता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

राकेश/ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"